संख्याः 340 /VII-1/2019-233(उद्योग)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक निगम/उपकम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादूनः दिनांकः 11 मई, 2019

विषयः- सातवें वेतन आयोग की सस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों की भांति राज्य में स्थित निगमों/सार्वजनिक उपकम/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को अवशेष राशि (एरियर) के भुगतान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या-274/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/XXVII(7) 18 -30(7)/2016, दिनांक 21 जनवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय सेवा के कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के कम में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान दो चरणों में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की गई थी :-

1. प्रथमतः समस्त आहरण-वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी वसूली सुनिशिचित करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरांत आहरण-वितरण अधिकारी द्वार कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही है।"
3. यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

4. यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग1 के प्रस्तर 81 (3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
5. इस अवधि में विभागीय वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/जिन अन्य पदनामों से संबंधित विभाग में वित्त सेवा के अधिकारी तैनात हों, वे सभी अपने–अपने विभाग में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टैस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।
6. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन/भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।
7. पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप में किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि संबंधित पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित/पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और कोई रिकवरी की स्थिति बनती है तो वह नियमानुसार कर ली जाय।
8. दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2019 से किया जाय।
9. देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए शेष राशि सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। जमा राशि केवल ऐसे मामलों, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
10. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तद्नुसार देय अवशेष धनराशि के 10% धनराशि के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात नकद भुगतान की जायेगी।
11. ऐसे कार्मिक जिनका भविष्य निर्वाह खाता न खुला हो, अथवा मृत्यु, त्यागपत्र स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा से मुक्त हो चुके हों, या जिनकी सामान्य भविष्य निधि की कटौती बन्द हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में अपने अधीनस्थ निगम/उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आकंलन करते हुये स्वयं के संसाधनों से निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऐसे कार्मिकों जिन्हें सातवां वेतन आयोग अनुमन्य किया गया हो, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक

01.01.2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव को निदेशक मण्डल की सहमति के उपरान्त दो चरणों (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 06 माह वाद निर्गत की जायेगी) अनुमन्य कराये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें। इस हेतु शासन स्तर से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नही की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 340 (1)/VII–1/2019–233(उद्योग)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

20/6/19

आज्ञा से,
10.06.2019
(महवीर सिंह पवार)
अनु सचिव